

कार्यालय

जिलाधिकारी

अति महत्वपूर्ण/परम आवश्यक

गाजियाबाद।

संख्या: 2174 / ई-डिस्ट्रिक्ट/सिटीजन सैन्ट्रिक/गा0बाद-2014

दिनांक:- 16, दिसम्बर, 2014


क्र0 सं0	अधिकारी का पदनाम	क्र0 सं0	अधिकारी का पदनाम
1	मुख्य विकास अधिकारी, गा0बाद।	2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गा0बाद।
3	नगर आयुक्त, नगर निगम, गा0बाद।	4	उपजिलाधिकारी (सदर/मोदीनगर/लोनी)
5	जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, गा0बाद।	6	जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजियाबाद।
7	जिला पंचायत राज अधिकारी, गा0बाद।	8	जिला समाज कल्याण अधिकारी, गा0बाद।
9	जिला विक्लांग कल्याण अधिकारी, गा0बाद।	10	जिला पूर्ति अधिकारी, गा0बाद।
11	जिला सेवायोजन अधिकारी, गा0बाद।	12	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, गा0बाद।
13	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गा0बाद।	14	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गा0बाद।
15	तहसीलदार (सदर/मोदीनगर/लोनी)	16	प्रोजेक्ट डायरेक्टर (डी.आर.डी.ए.)
17	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गा0बाद।	18	समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद गा0बाद।

विषय :- आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, लखनऊ, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 1278/78-2-2014-53आई.टी./08टीसी दिनांक 25-11-2014 के अन्तर्गत उल्लिखित किया है कि प्रदेश में ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को विभिन्न सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिसके सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 20-2-2013, 04-5-2013 व 28-6-2013 का उल्लेख करते हुए योजना को और अधिक सुलभ बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सिटीजन सेवायें अब आवेदक को सीधे इन्टरनेट के माध्यम से भी प्रदान की जाएंगी। जिसके आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया दिये गये निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उचित होगा कि इस सम्बन्ध में कार्यालय के बाहर सूचना चस्पा कर दी जाए, जिससे आने वाले आवेदकों को भी इस सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त हो सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

  
(विमल कुमार शर्मा)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री राजन, जिला प्रबन्धक, मै0 वयम टैक्नोलोजीज प्रा0लि0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार समस्त जन सेवा केन्द्र संचालकों को इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश निर्गत करें, एवं जन सेवा केन्द्र के बाहर इस बाबत सूचना चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 2- जन सुविधा केन्द्र संचालक, कलेक्ट्रेट गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि तत्काल दिये गये निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराये, एवं केन्द्र के बाहर सूचना चस्पा कराये।
- 3- समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालकों को इस निर्देश के साथ कि तत्काल दिये गये निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराये, एवं केन्द्र के बाहर सूचना चस्पा कराये।
- 4- सहायक निदेशक, सूचना गाजियाबाद को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।

13

क्र. 7-5033/0-1/214

संख्या-1278/78-2-2014-53आई.टी./08टीसी

ASOM (B)

E.D. Asstt.

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

01/12/14

प्रेषक,

जीवेश नन्दन  
प्रमुख सचिव  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,  
राजस्व/ पंचायतीराज/ विकलांग कल्याण/ समाज कल्याण/  
महिला कल्याण एवं बाल विकास/ श्रम/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त  
उ०प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी  
उ०प्र० शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2014

**विषय:** आम जनमानस के उपयोगार्थ विभिन्न सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को विभिन्न सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश संख्या-1527/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 20 फरवरी, 2013 संख्या-704/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 4 मई, 2013 एवं संख्या-992/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 28 जून, 2013 जारी किये गये हैं।

2. उक्त के अतिरिक्त योजना को और अधिक सुलभ बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सिटीजन सेवायें अब आवेदक को सीधे इन्टरनेट के माध्यम से भी प्रदान की जायेंगी।

3. उक्त सिटीजन सैन्ट्रिक सेवाओं को आम जनमानस द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

- (1) सर्वप्रथम आवेदक आनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल ([www.uponline.up.nic.in](http://www.uponline.up.nic.in)) पर अपना पंजीयन करेंगे।
- (2) आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं हेतु अनिवार्य अभिलेखों/संलग्नकों की सूची, सेवा शुल्क इत्यादि को "अनिवार्य संलग्नक" लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

- (3) पोर्टल पर पंजीयन के One Time Password (OTP) आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर एस०एम०एस० के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (4) पंजीयन उपरान्त आवेदक सृजित यूजर आई.डी.,OTP एवं सुरक्षा कोड के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाईन लॉगिन करेगा।
- (5) आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित ई-फार्म में एण्ट्री करेगा।
- (6) आवेदक ई-फार्म में एण्ट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि माँगे गए समस्त संलग्नकों की स्कैन्ड कॉपी JPEG/PDF फॉर्मेट में हो, जिसका साईज 200 KB से कम हो, तथा नवीनतम फोटो JPEG जिसका साईज 20 KB से कम हो, उसके पास उपलब्ध हो।
- (7) तत्पश्चात् आवेदक स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र के साथ अन्य आवश्यक संलग्नकों को पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा सभी धरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता जांचने के उपरान्त, आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट करेंगे।
- (8) आनलाईन ई-फार्म पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक को पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (9) तत्पश्चात् आवेदक सेवा से सम्बन्धित शुल्क को जमा करने हेतु "सेवा शुल्क भुगतान" लिंक पर क्लिक करेगा जिसके पश्चात् पोर्टल द्वारा आवेदक को पेमेन्ट गेटवे पर अग्रेसित किया जायेगा जिसमें आवेदक आनलाईन मोड यथा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेन्ट गेटवे का ट्रांजक्शन चार्ज का भुगतान कर सकेंगे।
- (10) पोर्टल द्वारा आवेदक को सफल पेमेन्ट के उपरान्त एक यूनिक बैंक ट्रांजक्शन आई.डी. उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (11) आवेदक पावती पत्र (Acknowledgement Slip) को प्राप्त करने हेतु "आवेदन सुरक्षित करें" लिंक पर क्लिक करेगा तथा पूर्व में प्राप्त यूनिक आवेदन पत्र संख्या एवं बैंक ट्रांजक्शन आई.डी. के माध्यम से आनलाईन रसीद को सुरक्षित करेगा।
- (12) तदोपरान्त इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- (13) आवेदक, आवेदन की अद्यतन स्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध "आवेदन की स्थिति" पर आवेदन संख्या अंकित कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- (14) प्रमाणपत्रों/सेवाओं को निर्गत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समय-सीमा पूर्व में ही निर्धारित की है, जिसके क्रम में आवेदन के सही पाये जाने के उपरान्त निर्गत प्रमाणपत्र/सेवा सूचना को आवेदक के रजिस्टर्ड इन्बॉक्स पर "निस्तारित आवेदक" लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (15) पोर्टल द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत होने के उपरान्त उसकी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

- (16) वर्तमान में शासनादेश संख्या-1527/78-2-2013-53आई.टी./2012 दिनांक 20 फरवरी, 2013 में की गयी व्यवस्था के अनुसार खतौनी सेवा को छोड़कर अन्य शासकीय सेवाओं हेतु आमजन से प्राप्त किये जाना वाला यूजर चार्ज रु.20/- है जिसमें से एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जनसुविधा केन्द्र संचालक का अंश रु.10/- निर्धारित है। इसी प्रकार खतौनी सेवा के लिये आम जनमानस से यूजर चार्ज के रूप में रु.30/- निर्धारित है, जिसमें रु.15/- का अंश केन्द्र संचालक के लिये निर्धारित है।
- (17) नई व्यवस्था में आवेदक जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र एवं जनसुविधा केन्द्र के अतिरिक्त इन्टरनेट के माध्यम से भी सीधे आनलाईन आवेदन कर सकेगा। आम जनमानस द्वारा सीधे आनलाईन आवेदन करने पर खतौनी सेवा के लिये रु.15/- एवं अन्य शासकीय सेवाओं के लिये रु.10/- यूजर चार्ज के रूप में लिया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रक्रिय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(जीवेश नन्दन)

प्रमुख सचिव

संख्या:- 127B(1)/78-2-2014 तद्विनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, 30प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, 30प्र0 शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.,।
4. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को, लखनऊ।
6. हेड, एस.ई.एम.टी., उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आजा से

(जी.एस.प्रियदर्शी)

विशेष सचिव